यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, उत्तराखंड पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम, देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल के द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, उत्तराखंड पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम, देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल के माह 11/2019 से 01/2021 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अक्षय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री हितेन्द्र चिकारा, व. ले. प. द्वारा दिनांक 10/2/2021 से 18/02/2021 तक श्री वी° पी° सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

## भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रविंदर कुमार व ले प एवं श्री संतोष कुमार गुप्ता स ले प अ के द्वारा दिनांक 7/12/2019 से 16/12/2019 तक श्री राजबहादुर व ले प अ के पूर्ण कालिक पर्यवेक्षण मे माह 11/2015 से माह 10/2019 तक के लेखा अभिलेखो पर आधारित थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे माह 11/2019 से 01/2021 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः इकाई द्वारा पेयजल योजनाओ से संबन्धित निर्माण के कार्य सम्पन्न कराना तथा अधिकार क्षेत्र, जिला –टिहरी गढ़वाल है।
3. (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

| वर्ष | प्रारम्भिक अवशेष | | स्थापना | | गैर स्थापना | | शासन को समर्पित राशि / अवशेष | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थापना | गैर स्थापना | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | स्थापना (समर्पित) | गैर स्थापना (अवशेष) |
| 2018-19 | | 130.89 | 506.69 | 506.69 | 1360.64 | 1152.83 | - | 338.70 |
| 2019-20 | | 338.70 | 375.23 | 375.23 | 2725.87 | 2696.73 | - | 367.84 |
| 2020-21 (01/21 तक) | | 367.84 | 335.27 | 335.27 | 585.71 | 838.92 | - | 114.63 |

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि रु लाख मे)

| वर्ष | योजना का नाम | प्रारम्भिक अवशेष | प्राप्त | व्यय | बचत (-) अधिक्य (+) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | | 394.15 | 145.38 | 523.71 | 15.82 |
| 2019-20 | | 15.82 | 1251.30 | 1247.39 | 19.73 |
| 2020-21 | | 19.73 | 500.47 | 497.76 | 22.44 |

(i) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई की श्रेणी "बी" है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(1) सचिव, पेयजल उत्तराखंड शासन।

(2) प्रबन्ध निदेशक पेयजल निगम देहरादून उत्तराखंड।

(3) मुख्य अभियंता गढ़वाल क्षेत्र, पौड़ी।

(4) अधीक्षण अभियंता, निर्माण मण्डल, नई टिहरी ।

(5) अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, पेयजल निगम, देवप्रयाग ।

(ii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, उत्तराखंड पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम, देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, उत्तराखंड पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम, देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 12/2019 एवं को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया तथा अकरी बारजुला पेयजल योजना का विस्तृत विश्लेषण किया गया जिसका प्रतिचयन लेखापरीक्षा अवधि मे अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(iii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2020 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

4. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में निरीक्षण नहीं किया गया।

5. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी नहीं की गई ।
6. फार्म 51: लागू नहीं है ।
7. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 01/2020 के अन्त में
   - (क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम... शून्य
   - (ख) सामग्री क्रय....शून्य
   - (ग) नगद परिशोधन....शून्य
   - (घ) निक्षेप.... शून्य
   - (ङ) भण्डार....शून्य

## भाग II (ब)

### प्रस्तर: 1 - *ठेकेदारों पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार रु 168.80 लाख का अर्थदण्ड (liquidated damages) आरोपित/वसूल न कर अदेय लाभ दिया जाना एवं योजना विलम्ब से पूर्ण करने के कारण राजस्व की हानि रु 146.31 लाख ।*

नाबार्ड मद के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड कीर्तिनगर की 105 बस्तियो को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु अकरी बारज्यूला ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना की रुपए 4770.17 लाख की डी॰पी॰आर॰ अधिशासी अभियंता निर्माण शाखा देवप्रयाग द्वारा तैयार की गयी थी, जिसकी टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरांत औचित्यपूर्ण लागत रु 4770.17 लाख (निर्माण कार्य हेतु रु 3379.04 एवं आधिप्राप्ति नियमानुसार व्यय हेतु रु 1391.13 लाख) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति उत्तराखंड शासन द्वारा दिनांक 11 सितम्बर 2015 को प्रदान की गयी थी। जिसके अंतर्गत 04 पम्प हाउस, 59 जलाशय, 13 स्टाप क्वाटर, 30.69 किमी राइजिंग मैन, 88.46 किमी सप्लाई मैन,100 किमी वितरण प्रणाली एवं 18 किमी ट्रांसमिशन लाइन आदि का निर्माण किया जाना था।

किन्तु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देवप्रयाग के प्रश्नगत योजना से संबन्धित अभिलेखों की जांच (02/2021) मे पाया गया कि:-

**स्टैन्डर्ड बिडिंग डोकुमेन्ट के प्रस्तर 49.1** के अनुसार किसी भी अनुबन्ध हेतु समय सीमा का निर्धारण बहुत ही आवश्यक है और यदि ठेकेदार उक्त अवधि में कार्य करने में विफल होता है तो **10000 प्रतिदिन, अनुबंध राशि का** अधिकतम 10 *प्रतिशत* तक का परिनिर्धारित नुकसान (एल0डी0) कराधान या चार्ज करना चाहिए। यदि ठेकेदार निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत कार्य पूर्ण करने में विफल होता है तो उस अनुबन्ध में शस्ति लगाकर उसे निष्कासित किया जाना चाहिए एवं अवशेष कार्य को किसी अन्य एजेन्सी से करवाया जाना चाहिए। किन्तु उक्त कार्य से संबन्धित अभिलेखो की जांच मी पाया गया कि इस योजना के सिविल कार्यों को सात ज़ोन मे बांटा गया था। कार्य संपादित कराने हेतु विभाग द्वारा मै0 यूनिप्रो टेक्नों॰ इन्फ्रास्टक्चर प्रा॰ लि॰ चंडीगड़ के साथ अनुबंध सख्या 01/SE/2016-17 रु 3455.22 लाख लागत का गठित किया गया। जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 01.05.2016 एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि 01.01.2017 थी किन्तु अनुबंध के सापेक्ष रु 2821.25 लाख का भुगतान किए जाने के बाद भी संबन्धित ठेकेदार द्वारा 03 वर्ष बाद भी अभी तक कार्य पूर्ण नही किया गया था न ही खण्ड द्वारा अनुबंध का आंतिमिकरण किया गया। साथ ही विभाग द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत शेष कार्यो जैसे जलाशयो से विभिन्न ग्रामो के अंतर्गत वितरण प्रणाली एवं तत्संबंधी कार्यो हेतु पुन: रु 681.02 लाख का लागत का अनुबंध संख्या: 08/एसई/2018-19 मै॰ त्रिलोक सिंह रावत के साथ गठित किया गया। जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 20.09.2018 एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि 19.09.2019 थी किन्तु उक्त दोनों ठेकेदारो को बार-बार निर्देशित किए जाने एवं समयवृद्धि दिये जाने के बावजूद निर्धारित समयवधि मे कार्य पूर्ण नही किए गए। जिसके लिए कार्य समय पर पूर्ण न करने के कारण नियमानुसार (अनुबंध की शर्त GCC 49.1 के अनुसार) ठेकेदारो पर देरी के लिए रु 10000/प्रतिदिन, अधिकतम अनुबंध राशि का 10 प्रतिशत अर्थात **रु 168.80 लाख**[1] का अर्थदण्ड अधिरोपित कर वसूल किया जाना चाहिए था। किन्तु विभाग द्वारा ठेकेदारो पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित नही किया गया।

---

[1] *अनुबंध संख्या 01/SE/2016-17 में कार्य सम्पादन में देरी (01.11.2017 से 31.01.2021 तक)= 1188 दिन, LD= रु 10000 * 1188*
*= रु 11880000*

*अनु॰ सं 08/SE/2018-19 में कार्य सम्पादन में देरी (20.09.2019 से 31.01.2021 तक) = 500 दिन, LD = रु 10000 * 500*
*= 50,00,000*

*कुल LD = 11880000 + 50,00,000 = 1,68,80,000*

जिससे प्रतीत होता है कि ठेकेदारो पर अर्थदण्ड अधिरोपित न कर ठेकेदारो को अदेय लाभ पहुंचाया जा रहा था। जबकि ठेकेदारो को बार-बार निर्देशित करने पर भी कार्य समय पर नही किया गया था।

पेयजल इकाई द्वारा निर्मित पेयजल योजना के सिविल कार्यों का निर्माण कर एवं जल संयोजन कार्य पूर्ण कर, संयुक्त निरीक्षण किए जाने के बाद कार्य संतोषजनक एवं सम्पूर्ण रूप से पूर्ण होने की दशा मे यथाशीघ्र जल संस्थान को हस्तांतरण कर दिया जाना होता था, जिससे योजना के अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति के साथ- साथ राजस्व के लक्ष्यो की पूर्ति भी की जा सके। निर्मित योजनाओं को हस्तगत करने के बाद ही जल संस्थान द्वारा निर्धारित दर से मासिक कर अधिरोपित कर राजस्व की वसूली की जाती है। किन्तु अकरी बारज्यूला पम्पिंग पेयजल योजना से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि इस योजना के अंतर्गत 04 पम्प हाउस, 59 जलाशय, 13 स्टाप क्वाटर, 30.69 किमी राइजिंग लेंन, 88.46 किमी सप्लाई लेन एवं 18 किमी ट्रांसमिशन लाइन आदि का निर्माण किया जाना था। जिससे लगभग 20872 लोगो अर्थात 4174 परिवारों को घरेलू जल संयोजन कर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना था। साथ ही योजना से वर्ष 2018 से रु 48.77 लाख प्रतिवर्ष राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। किन्तु समय पर पेयजल योजना का कार्य पूर्ण न होने के कारण न केवल योजना के अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति अप्राप्त थी अपितु विगत तीन वर्षो मे राजस्व की वसूली भी नही की जा सकी थी। योजना से वर्ष 2018 से रु 48.77 लाख प्रतिवर्ष राजस्व की वसूली न होने के कारण विगत तीन वर्षो (2018, 2019 एवं 2020) मे लगभग **रु 146.31 लाख** के राजस्व की हानि थी।

उक्त प्रकरण को संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया कि उक्त योजना मे वन भूमि की स्वीकृति न मिलने एवं ग्रामीणो द्वारा विवाद किए जाने तथा कोविड़-19 के कारण विलम्ब हुआ है। ठेकेदार श्री त्रिलोक सिंह को कार्य हेतु अतरिक्त समय दिया गया है। जिसके लिए स्वीकृति प्राप्त है। वर्तमान मे कार्य पूर्ण है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत कनक्सन किए जाने की कार्यवाही गतिमान है। तदोपरांत राजस्व वसूली की जाएगी।

सम्प्रेक्षा मे इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि उक्त योजना के अंतर्गत वन भूमि की स्वीकृति माह 11/2017 को ही प्राप्त हो चुकी थी, वन भूमि की स्वीकृति मे विलम्ब की अवधि हेतु पूर्व मे ही ठेकेदार को समयवृद्धि दी जा चुकी थी। साथ ही कार्य पूर्ण होने के संबंध मे भी इकाई कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नही किया गया। जबकि इकाई की माह 01/2021 की मासिक प्रगति के अनुसार कार्य अपूर्ण था। माह 03/2020 के बाद ठेकेदारो को कोई समयवृद्धि भी स्वीकृत नहीं थी। जिसके कारण अभी तक रु 146.31 लाख के राजस्व की हानि हो चुकी थी।

अत: ठेकेदारों पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार रु 168.8 लाख का अर्थदण्ड (liquidated damages) आरोपित न कर अदेय लाभ दिया जाना एवं योजना विलंभ से पूर्ण/हस्तांतरित करने के कारण राजस्व की हानि रु 146.31 लाख ।

**भाग – II (ब)**

## प्रस्तर-2 रु 17.46 करोड़ मूल्य की पेयजल योजना समय से पूर्ण न किया जाना एवं रु 73.88 लाख मूल्य की बैंक गारण्टी का Renewal न कराया जाना।

उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या: 1266 दिनांक 25 मई 2018 के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) (सामान्य) के अंतर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खंड देवप्रयाग की हिंडोलाखाल पुनर्गठन ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना फेज-1 के लिए रु 2096.87 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। उपरोक्त पेयजल योजना के लिए रु 17,46,40,893.00 मूल्य का अनुबंध मेसर्स आर. के. इंजीनियर्स सेल्स लिमिटेड: लखनऊ के साथ गठित किया गया था। गठित अनुबंध के अनुसार निर्माण कार्य आरंभ करने की तिथि 01.08.2019 तथा निर्माण कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 31.01.2021 थी ।

लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उपरोक्त पेयजल योजना सम्प्रेक्षा तिथि (फरवरी 2021) तक पूर्ण नहीं हो सकी थी। उपरोक्त के अलावा पेयजल योजना के संबंध में जमा की गयी रु 73,88,333.00 मूल्य की बैंक गारण्टी, जिसकी वैधता अवधि 17.12.2019 थी, का Renewal ठेकेदार द्वारा नहीं कराया गया था।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगने के कारण कार्यो की प्रगति में व्यवधान उत्पन्न हुआ, जिसके कारण समयांतर्गत कार्यो को पूर्ण नहीं किया गया जा सका। अनुबंधकर्ता द्वारा समयवृद्धि हेतु आवेदन पत्र कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। इकाई द्वारा बैंक गारण्टी का Renewal ठेकेदार से मांगा गया था।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि समयान्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण न होने की दशा में उच्चाधिकारियों से समयवृद्धि स्वीकृत कराई जानी चाहिए थी तथा बैंक गारण्टी का Renewal समय से कराया जाना चाहिए था।

अत: रु 17.46 करोड़ मूल्य की पेयजल योजना समय से पूर्ण न किए जाने एवं रु 73.88 लाख मूल्य की बैंक गारण्टी का Renewal न कराये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

**भाग II (ब)**

**प्रस्तर -3 रु 35.23 लाख की ब्याज से अर्जित धनराशि को राजकोष मे जमा नहीं किया जाना ।**

उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या 99/xxvii/(14)200 दिनांक 3-9-2009 के द्वारा अवगत कराया गया था कि यदि किसी कारणो से समेकित निधि से आहरित धनराशि का उपयोग न हुआ हो ओर उस पर ब्याज अर्जित हो तो उसे राजकोष के 0049 ब्याज प्राप्तिया लेखाशीर्ष मे जमा किया जाय । लेखापरीक्षा मे पाया गया कि कार्यालय पेयजल निगम देवप्रयाग के द्वारा अर्जित ब्याज की राशि रु 35.23 लाख को 0049 लेखाशीर्ष मे जमा नहीं किया जा रहा था इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा आपत्ति स्वीकारते हुये अपने उत्तर में बताया गया कि विभिन्न खातो मे जो ब्याज की राशि प्राप्त होती है वह मुख्यालय को प्रेषित की जाती है क्योकि शाखा को जो राशि प्राप्त होती है वह मुख्यालय से प्राप्त होती है शाखा का ट्रेजरी से कोई लेना देना नहीं होता है। उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है ब्याज की राशि वित्तीय नियमो के अनुसार लेखाशीर्ष 0049 मे जमा की जानी चाहिए जब तक इसके अतिरिक्त कुछ अन्य जगह उपयोग करने के लिए वित्त विभाग के आदेश पृथक से उपलब्ध न हो ।

अतः रु 35.23 लाख की ब्याज से अर्जित धनराशि को 0049 लेखाशीर्ष मे जमा नहीं करने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण ।

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या | भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या |
|---|---|---|
| 62/2005-06 | - | 1 एवं 2 |
| 46/2006-07 | - | 1 |
| 36/2007-08 | - | 1,2 एवं 3 |
| 07/2010-11 | - | 2 एवं 4 |
| 44/2012-13 | - | 2,3 एवं 4 |
| 133/2015-16 | - | 1,2,4,5,6,एवं 7 |
| 201/2019-20 | - | 1,2,3,4 |

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण | अनुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| | | | कार्यवाही कर प्रेसित की जाएगी | |

## भाग-IV

## इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

## भाग-V

## आभार

**1.** कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, उत्तराखंड पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम, देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) MB No. – 221/L, 211/L

(ii) अकरी बारप्यूला पेयजल योजना से संबन्धित माप पुस्तिकाएं एवं देयकों की छायाप्रति ।

**2. सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

**3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

| क्रम सं0 | नाम | पदनाम |
|---|---|---|
| (1) | श्री राजेश सिंह | अधिशासी अभियंता |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, उत्तराखंड पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम, देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार / उप महालेखाकार ए एम जी-2 को प्रेषित की जाए।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी**
**AMG-II (Non-PSU)**